उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2017/108(120)/XXVII(8)/2002
देहरादूनः: दिनांक :: 28 सितम्बर, 2017

## अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 32 की उपधारा (12) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2013–14 के लिए कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक किया जा सकेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

**सं0 732/2017/108(120)/XXVII(8)/2002 तद्दिनांक।**
**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**
1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

6/16
28/09/2017

DT/Anil/New vigyapti/Time extention 2013-2014 upto 30-11-2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.732/2017/108(120)/XXVII(8)/ 2002 dated,28 September, 2017 for general information.

**Government of Uttarakhand**
**Finance Section-8**
**No.732/2017/ 108(120)/XXVII(8)/2002**
**Dehradun :: Dated:: 28 September, 2017**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act No 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 for the year 2013-14 may be made upto 30 November, 2017.

(Amit Singh Negi)
Secretary